



केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, RANCHI
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
के.वि. नामकुम परिसर, नामकुम राँची, झारखंड-834010
KV, Namkum Campus, Namkum, Ranchi, Jharkhand-834010
फोन: 9264436970(DC), 9102992109 (AC), 9102992107(AO), 9102992108(FO)
Website: <https://roranchi.kvs.gov.in/>, E-mail: dcroranchi@gmail.com,
acroranchi@gmail.com, aororanchi@gmail.com, fororanchi@gmail.com

फा.40029/के.वि.सं./क्षे.का.(राँची)/शैक्षिक/2023/ 1452-93

दिनांक : 18.04.2023

केवल ई-मेल द्वारा

प्राचार्या / प्राचार्य
संबंधित केन्द्रीय विद्यालय,
राँची संभाग


विषय : CBSE Affiliation, Updation of SARAS Portal, Building Safety & Fire Safety उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि सभी केन्द्रीय विद्यालय सीबीएसई से सम्बद्ध हैं, और सीबीएसई से सम्बद्ध होने के कारण संबद्धता उपनियम (affiliation bye laws) के सभी मानदंड (norms) को पूरा करना सभी केन्द्रीय विद्यालयों की ड्यूटी है, परंतु इस कार्यालय में उपलब्ध आकड़ों के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि संभाग के कई केन्द्रीय विद्यालयों ने इस संदर्भ में गंभीरता पूर्वक कार्य नहीं किया है।

PART-A	सीबीएसई से सम्बद्धता के संदर्भ में समय पर उचित कार्यवही नहीं की है उनमें केन्द्रीय विद्यालय चतरा और खूँटी शामिल है। इन विद्यालयों द्वारा स्टाफ स्ट्रेंगथ का प्रोपोसल दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में ही इस कार्यालय को भेजा गया था जबकि सीबीएसई पोर्टल 31.12.2022 तक खुला रहने के बावजूद senior secondary में सम्बद्धता हेतु आवेदन समय पर नहीं किया गया।	
PART-B	केन्द्रीय विद्यालय पलामू एवं डांगापोंसी जिसमें वर्तमान में कक्षा VIII संचालित है उन्हें अभी से अगले वर्ष कक्षा IX के लिए सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है।	
PART-C	जिन विद्यालयों के पास Fire Safety certifiante उपलब्ध नहीं है – भुरकुंडा, बोकारो नं 03, चक्रधरपुर, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामतारा, लातेहार, मधुपुर, पलामू, रामगढ़ कैंट, सीआरपीएफ राँची, दीपाटोली राँची, एचईसी राँची, हिनु राँची, नामकुम राँची, साहिबगंज, सरायकेला एवं टाटानगर	जिन विद्यालयों के पास Building Safety certificate उपलब्ध नहीं है – बोकारो थर्मल, चक्रधरपुर, गोड्डा, हजारीबाग, पलामू, दीपाटोली राँची एवं एचईसी राँची
यह प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वे सक्षम अधिकारियों से संपर्क कर Building Safety & Fire Safety certificates प्राप्त करें और इस कार्यालय को दिनांक 10.05.2023 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।		

जिन विद्यालयों के Affiliations समाप्त (renewal) होने वाले हैं, उन्हें सीबीएसई के नियमानुसार एक निश्चित समय पूर्व आवेदन करना होता है। आप सीबीएसई सम्बद्धता के नियम को पढ़ें और समय से पूर्व renewal हेतु आवेदन करें ताकि सम्बद्धता की निरंतरता बनी रहे।

भवदीय,

(डी.पी. पटेल)
उपायुक्त